2016/00069

मिसल नं0 11/2016 सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम श्री बंशीलाल, रामावतार, द्वारकीलाल, राजेन्द्र कुमार पुत्रान राममूर्ति पुत्री मेहताबाई बेवा जगन्नाथ मीना निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-10-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटन शिविर दिनांक 26.07.77 मे भूमि खसरा नं0 64 की 0.07 है0 65 की 0.06 है0 66 की 0.07 है0,67 की 1.53 है0 आवंटी श्री बंशीलाल, रामावतार, द्वारकीलाल, राजेन्द्र कुमार पुत्रान राममूर्ति पुत्री मेहताबाई बेवा जगन्नाथ मीना निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद को आवंटित हुई थी उक्त आवंटी को दिनांक 03.09.77 को कब्जा सुपुर्द/दखल दिया गया था । आवंटन से आदिनांक तक भी भूमि पर कब्जा नही रहा । भूमि पर जगदीश मीना का कब्जा रहा । यानि आंवटी को आवंटित भूमि (पूर्ण) का कृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग मे नही ली जा रही है । आवंटन शर्तो की पालना नही है । इसलिये उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु दिनांक 11.04.2016 को प्रस्तुत किया है । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के अनुसार सभी अप्रार्थीगण अंकित पते पर निवास नही करते है । अप्रार्थीगणों के सही पते की जानकारी हेतु तहसीलदार दीगोद को कई पत्र लिखे गये यहां तक कि अर्द्व शासकीय पत्र लिखे गये । परन्तु तहसीलदार दीगोद द्वारा अप्रार्थीगणों के सही पते की जानकारी नही दी एवं कोई जवाब भी प्रस्तुत नही किया है । अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार दीगोद अप्रार्थीगणों के सही पते की जांच कर अप्रार्थीगण का सही पता अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार दीगोद को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	